15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UT ... SH

Advocate, Tehsil, AGRA

101033

01 AUG 2008

कोषाधिकारी

आगरा

For ... Real Estate ... Ltd.

Director

15000

(ओउम नमः शिवाय)

किस्म दस्तावेज	-	बैनामा (सेल डीड) ।
भूमि का प्रकार	-	कृषिक ।
वार्ड/परगना	-	मौजा लकावली तहसील व जिला आगरा।
आराजी का विवरण	-	खाता संख्या 192 खसरा संख्या 419 सम्पूर्ण विक्रय किया जा रहा है।
आराजी का प्रकार	-	कृषिक ।
विक्रीत जमीन का क्षेत्रफल	-	0.764 हेक्टेयर(आराजी) में से सम्पूर्ण 0.1764 हेक्टेयर आराजी का विक्रय किया जा रहा है।
प्रतिफल की धनराशि	-	22,00,000/- रुपये ।
देय स्टाम्प(15 पेज)	-	1,55,000/- रुपये ।

For

Director

Director

For Na[illegible] Devel[illegible]

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये | RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 | भारत INDIA | Rs.15000

अखलाक खाँ
01 AUG 2008
कोषाधिकारी
आगरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 2 101032

सरकारी मालियत - 8,64,000/- रुपये ।

जमीन का सर्किल रेट - 50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर, जो कि सर्किल रेट सूची एस. आर. प्रथम पेज 13 के , पृ 13 पर अंकित है।

आराजी के अन्तरण से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27(1) का कोई उल्लंघन नही हो रहा है। विक्रीत आराजी का बैनामा फर्म के नाम रजिस्टरी होने पर शासन के आदेश संख्या 2756 दिनांक - 30-6-2008 ई० के अनुसार स्टाम्प 7 प्रतिशत देय है कि जो नियमानुसार अदा किया जा रहा है। विक्रीत आराजी मुख्य मार्ग से करीब 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है जो अविकसित क्षेत्र में है जो कि चार मीटर चौड़े कच्चे रास्ते के सहारे है ।

Director

Third Eye ... Pvt Ltd

Auth. Signatory

O/(K. P. Singh)
Cashier
Agra Tehsil

2,206,000.00	882,000.00	5,000.00	20	5,020.00	800
		[illegible] रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	[illegible]

श्री / श्रीमती [illegible]
पुत्र [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी स्थायी [illegible]
अस्थायी पता

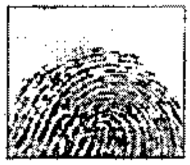

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक [illegible] समय 2:54PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

ओ0पी0 [illegible]
उपनिबन्धक [illegible]
आगरा सदर
[illegible]

[illegible]

विक्रेता
श्री/श्रीमती सुरेश [illegible] मुख्तार
पुत्र/पत्नी श्री पी एल अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी [illegible] नगर आगरा

क्रेता
श्री/श्रीमती धर्म आइ मीडिया प्रा.लि. द्वारा [illegible] विज
पुत्र/पत्नी श्री भगवान दास विज
पेशा व्यापार
निवासी कमला नगर आगरा

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 101031

5

हम कि नन्द एस्टेट डवलपर्स (प्रा. लि.) द्वारा डायरेक्टर श्री नन्द किशोर मंधरानी पुत्र स्व० श्री दामोदर दास मंधरानी निवासी डी 67 कमला नगर शहर आगरा। -------- विक्रेता/प्रथम पक्ष।

एवं

ए० आई० मोडिया प्रा. लि. द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमल किशोर मिश्र पुत्र श्री भगवान दास मिश्र निवासी एफ 885 कमला नगर शहर आगरा।

———————— क्रेता/ द्वितीय पक्ष।

For Nand Estate Developers (P) Ltd.

Director

ने निष्पादन स्वीकार किया

निष्पादनकर्ता श्री नरेश चन्द
पुत्र श्री सुरेश चन्द
पेशा व्यापार
निवासी खन्दारी आगरा

श्री राज कुमार
पुत्र श्री किशन सिंह
पेशा व्यापार
निवासी कोल्हाई शाहगंज आगरा

ओ0पी0 कटेरिया
उपनिबन्धक (तृतीय)
आगरा सदर
02.6.2009

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये — RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 101030

4

जो कि एक किता आराजी वाके मौजा लकावली तहसील व जिला आगरा खाता सं० [illegible]132 खसरा संख्या 419 मे से विक्रय किया जा रहा है रकबा 0.1764 हेक्टेयर [illegible] आराजी सम्पूर्ण भाग [illegible] 0.1764 हेक्टेयर [illegible] विक्रय किया जा रहा है [illegible] 06 रुपये 20 पैसे [illegible] मुताबिक खतौनी दिनांक 13-05-2009 के अनुसार उपरोक्त सम्पूर्ण कुल आराजी मे से सम्पूर्ण भाग अर्थात 0.1764 हेक्टेयर [illegible] भूमि को एक किता पंजीकृत बैनामे के द्वारा देवी रामपुत्र परसराम नि० ग्राम लकावली से प्रथमपक्ष ने बाकायदा क्रय करके नियमानुसार राजस्व अभिलेखों मे अपने नाम का दाखिला खारिज कराया और प्रथमपक्ष 0.1764 हेक्टेयर भूमि को संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे उक्त कम्पनी मालिक हुयी और क्रय की गयी भूमि मे से

For [illegible] Ltd.

Director

Third Eye [illegible]

विक्रेता

Year 2019

0101 सुरेश केशव बइ0 मुख्तार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

15000 रु. पन्द्रह हजार रुपये RUPEES FIFTEEN THOUSAND Rs.15000

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 101029

5

प्रथमपक्ष संपूर्ण 0.1784 हेक्टेयर भूमि क्रेता द्वितीय पक्ष को विक्रय रही है इस प्रकार उक्त जमीन/ भूमि की विक्रेता प्रथम पक्ष कम्पनी एकमात्र मालिक व स्वामी चली आती है जिस पर विक्रेता प्रथमपक्ष कम्पनी का ही कब्जा उक्त चला आता है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष कम्पनी के अन्य कोई हकदार व हिस्सेदार वगैरा नहीं है।

[illegible]

क्रेता

Registration No [illegible] Year 2009 Book No. [illegible]

0201 शर्ड आई मीडिया प्रा लि [illegible] शासन विभाग डिज

[illegible]

[illegible]

[illegible]

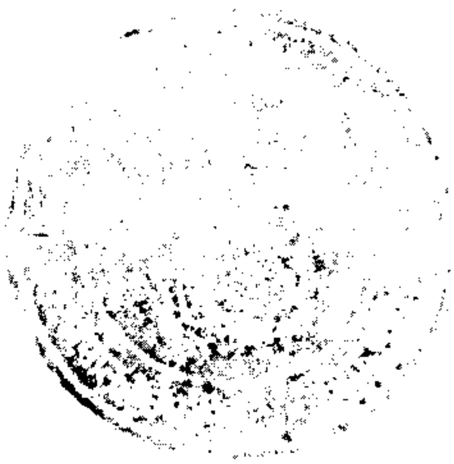

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

J01028

01 AUG 2008

कोषाधिकारी

आगरा

6

जो कि आज तक विक्रेता प्रथमपक्ष की ओर से हर प्रकार के कर्ज व बार व भार व बंधक व [illegible] व [illegible] व मुकदमा व नालिश व नीलाम व हर प्रकार की समस्त देनदारी व जिम्मेदारी वगैरा से कतई पाक व साफ है प्रथमपक्ष

Third Eye

Attested

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 1 AUG 2008

7

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

For [illegible]

Director

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. | Rs.10000

दस हजार रुपये | RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

अब्दुल [illegible] खाँ
0 6 AUG 2008
कोषाधिकारी

06AA 420360

8

लिहाजा विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाव किसी नाजायज के मय समस्त अधिकार व आधिपत्य व स्वामित्व सहित व बिना कोई किसी हक व अधिकार के मय दाखिली व खारिजी [illegible] खसरा नंबर 419 रकबा 0.1764 हेक्टेयर [illegible] सम्पूर्ण 0.1764 हेक्टेयर आराजी को मिल रकम मुबलिक 22,00,000/- बाईस लाख रुपये मे कि आधे जिसके मु0 11,00,000/- ग्यारह लाख रूपये होते है अदा

For Nand [illegible]

Director

[illegible] Pvt. Ltd.

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

0644 [illegible]

9

धी आई गोडिवा प्रा०लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का कथन कि [illegible] मिश्र पुत्र श्री भगवान दास मिश्र निवासी एफ 885 कमला नगर [illegible] आगरा उपरोक्त [illegible] प्रबन्धकों [illegible] 22,00,000/- रुपये विभिन्न बैंक [illegible] जिसका प्रबन्धक [illegible] नहीं रहा है और न ही आवश्यक होगा ।

For [illegible]

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 576812

10

लिहाजा कब्जा व दखल मालिकाना [illegible] जमीनआराजी के वाके मौके पर प्रथम पक्ष ने खरीदार द्वितीयपक्ष का करा दिया और खरीदार को उक्त आराजी जमीन का कब्जा [illegible] मालिक व स्वामी बना दिया है आज के बाद खरीदारको हक व अधिकारहैकि वह उक्त भूमि मे हर [illegible] अपने वहि

Nawal [illegible]

[illegible] Assn [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11

[illegible]

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 576337

रहा है और नाही आइन्दा होगा उक्तशीन मजकूर [illegible] आत्थान भी नही है जिसको राज्य सरकार [illegible] अधिग्रहित नही किया गया है नाही कोई मुआवजा लिया गया है नाही किसी वाद मे [illegible] रिक्त भूमि घोषित की गयी है ।

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

07 AUG 2000
कोषाधिकारी
[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13

और भविष्य में भी कोई अधिकारी किसी प्रकार [illegible] हिस्सेदार [illegible] उक्त [illegible] विक्रेता प्रथम पक्ष को ले आराजी [illegible] [illegible] कुल रकम व दखल खरीदार से [illegible] कोई रकम अदा करनी पड़े या बैनामा हाजा में किसी प्रकार की कोई कानूनी [illegible] जो उस कुल की [illegible] व जिम्मेदार [illegible] प्रथमपक्ष का होगा खरीदार जिस प्रकार चाहे [illegible] को [illegible] न होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 576657

07 AUG 2008

कोषाधिकारी

आगरा

विक्रीत आराजी के पास उसके आस पास 200 मीटर की परिधि मे कृषि हो रही है और कृषि भूमि मे कुँआ बोरिंग पेड पौधा आबादी व निर्माण आदि नही है विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नही है।

विक्रीत आराजी की सरकारी मालियत 8,64,000/- रुपये बनती है लेकिन खरीद कीमत 22,00,000/- रुपये पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से 1,55,000/- रुपये का स्टाम्प अदा किया गया है जिससे सरकार को राजस्व का सरासर फायदा है।

नोट :-
====

विक्रेता प्रथम पक्ष (नन्द किशोर मंधरानी) ने सुरेश कौशल पुत्र श्री पी.एल. अग्रवाल निवासी 26 गांधी नगर आगरा को यह दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये मुख्तारनामा तसदीक शुदा नियुक्त किया है जिसकी रजिस्टरी श्रीमान सबरजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम आगरा मे विधिवत दर्ज है जिसके द्वारा प्रथम पक्ष ने अपने द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया है जो आज तक प्रभावी है कैन्सिल नही हुआ है जिसमे दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधिकारो मे आज तक कोई कमी नही आयी है।

For Neel Estate ...

Director

Third Eye ... Ltd.

कार्यालय उपनिबन्धक, आगरा

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन में
विक्रेता/क्रेता के फिंगर प्रिन्ट्स

1. विक्रेता का नाम व पता ....

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बांये हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दाहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

2. क्रेता का नाम व पता ....

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बांये हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दाहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 565291

15

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनदरहे औरसमयपर काम आवे ।

तहरीर तारीख 04-5-2009ई0 व मसौदा सुरेश मित्तल एडवोकेट (प्रधानजी, सदर तहसील आगरा दस्तावेज हाजा पक्षकारान के कहे अनुसार तहरीर व टाईप किया गया है दस्तावेज पर चस्पा फोटो व हस्ताक्षरों की शनाख्त गवाहों ने की है।

For Nand Estate ... Ltd.

Director

Third Eye

गवाह

नरेश चन्द पुत्र श्री सुरेश चन्द
निवासी कन्दारी आगरा।

गवाह नं0 2-

अनुराग कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द
निवासी राजा मण्डी आगरा।

Suresh K. Agrawal
Advocate
Sadar Tehsil, AGRA

आज दिनांक **22/05/2009** को

बही सं **1** जिल्द सं **2535**

पृष्ठ सं **305** से **338** पर क्रमांक **3127**

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

ओ0पी0 कठेरिया

उपनिबन्धक (तृतीय)

आगरा सदर

22/5/2009

खाताकं 132

एक किता आराजी खसरा सं. [illegible] गांके व मौजा लकावल। तहसील व जिला आगरा

Nand Kishore

रकबा :- 0.1764 हे० [redacted] सम्पूर्ण

विक्रेता :- नन्द एस्टेट डवलपर्स (प्रा.) लि. द्वारा डायरेक्टर श्री नन्द किशोर मंघरानी

क्रेता :- थर्ड आई मीडिया (प्रा.) लि. द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमल किशोर मिजा

लाल रंग में दर्शाया है।

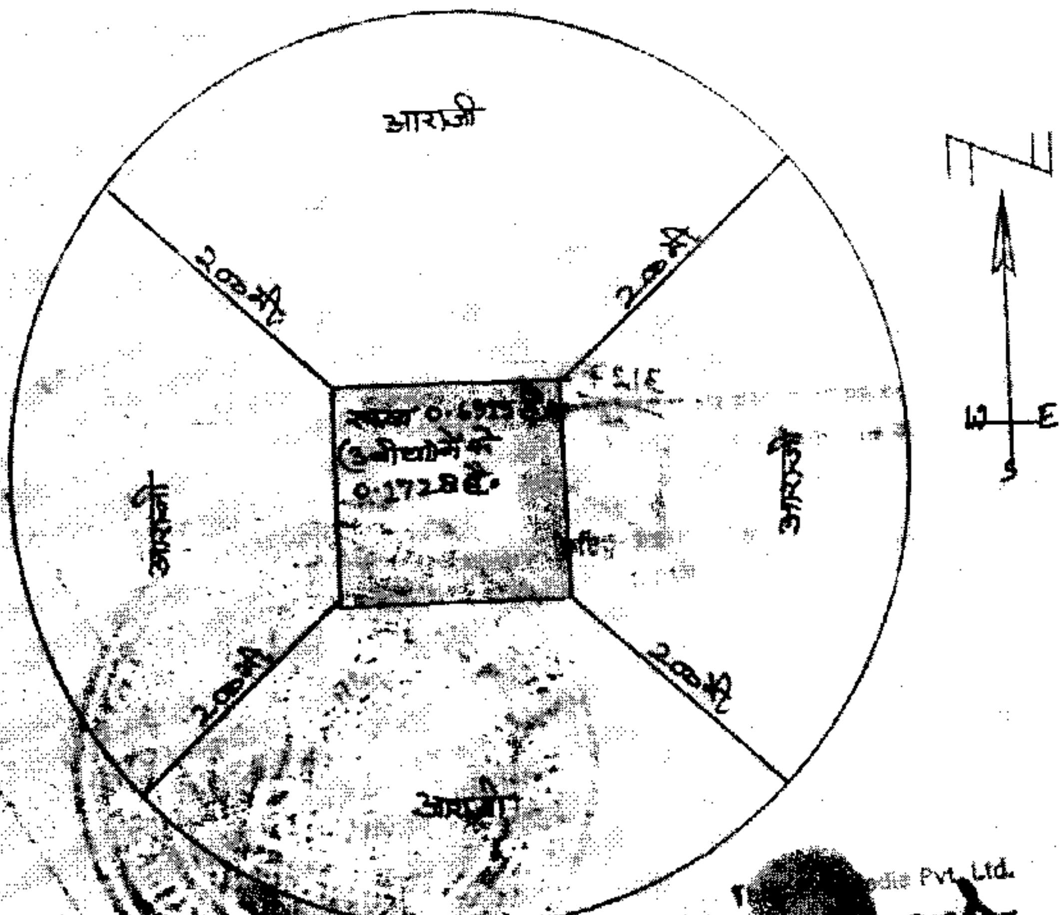

For Third Eye Media Pvt. Ltd.

For Nand Estate Developer's (P) Ltd.

Nand Kishore

Director

3127